प्रेषक,

डॉ0 मन्नान अख्तर,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,

खनिज भवन, लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 09-08-2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद बलिया में अवैध खनन/अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के अन्तर्गत 01 चेकगेट एवं 01 मिनी कमाण्ड सेन्टर हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की मांग के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-433/एस-767/2023, दिनांक 22.05.2024 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-7/2024/I/524777/2024/फाइल नं0-86-01002(099)/4/2023, दिनांक 19.03.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद बलिया में अवैध खनन/अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के अन्तर्गत 01 चेकगेट एवं 01 मिनी कमाण्ड सेन्टर की स्थापना हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 4,61,646/- (रूपये चार लाख इकसठ हजार छः सौ छियालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

i. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा,वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

iii. प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि के आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0 इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

v. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय की गई सामग्री/उपकरणों/मशीनों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

vi. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री/उपकरणों/मशीनों के क्रय में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

vii. आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित की जायेगी।

viii. प्रस्तावित सामग्री/उपकरणों/मशीनों का क्रय जेम पोर्टल/निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा तथा इस संबंध में शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/ प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ix. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, बलिया का होगा।

x. यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, बलिया का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

xi. यथासमय व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म/जिलाधिकारी, बलिया) के प्रतिहस्ताक्षर भी अनिवार्य रूप से हों।

xii. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, बलिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, बलिया का होगा।

xiii. शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, बलिया तथा निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी /वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

xiv. शासनादेश संख्या-7/2024/।/524777/2024/फाइल नं0-86-01002(099)/4/2023, दिनांक 19.05.2024 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. उपर्युक्त कार्य पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज) के पूंजीगत लेखाशीर्षक-4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय-01 खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था के मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

डॉ0 मन्नान अख्तर

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक :तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बलिया।
5. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. खान अधिकारी, बलिया।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 मन्नान अख्तर

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।